दिनांक 13.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 426/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 13.08.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की बरेली इकाई** द्वारा सर्वेश कुमार निवासी मोहम्मदपुर कुड़ई थाना जरीफनगर जनपद बदायूं से ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जल जाने पर दूसरा ट्रांसफार्मर विद्युत बिल माफी के अन्तर्गत लगवाने के नाम पर अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में 33/11 बिजलीघर जरीफनगर से **1-हरदेवाराम (TG-2, 33/11 बिजलीघर जरीफनगर बदायूं)** पुत्र स्व0 नुन्दाराम निवासी ग्राम जीणवार थाना मारोठ जनपद नागौर राजस्थान **2-मानकचन्द्र (लाइन मैन, संविदा कर्मी)** पुत्र स्वराज सिंह यादव निवासी ग्राम आरिफपुर भक्ता नगला बिजलीघर जरीफनगर बदायूं को **12 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 13.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 427/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद अयोध्या/थाना कुमारगंज</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की पीली धातु के आभूषण**
- **लूट के 11 हजार 170 रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.08.2026 को थाना कुमारगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–अंकित कुमार 2–अरविन्द कुमार 3–आलोक को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की पीली धातु के आभूषण, लूट के 11 हजार 170 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कुमारगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित कुमार शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अयोध्या के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कुमारगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अंकित कुमार निवासी मंझनपुर थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।

2–अरविन्द कुमार निवासी सिड़सिड़ थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।

3–आलोक निवासी पड़किया सरौली थाना खण्डासा जनपद अयोध्या।

बरामदगी

1–लूट की पीली धातु के आभूषण।

2–लूट के 11 हजार 170 रूपये नगद।

3–04 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सम्भल/थाना असमोली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **44 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 12.08.2026 को थाना असमोली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त इकरार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 44 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना असमोली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इकरार निवासी हीरापुर थाना असमोली जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–44 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–10 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना खंदौली

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 45 लाख रूपये कीमत के 310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 मोबाइल फोन**
- **2064/–रूपये नगद**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 13.08.2026 को थाना खंदौली व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आगरा अलीगढ़ मार्ग पर मई चौराहा से पहले सादाबाद की तरफ सड़क के किनारे से अभियुक्त मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 मोबाइल फोन, 2064/–रूपये नगद, 01 ट्रक बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में थाना खंदौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष कुमार निवासी खुड़ाना थाना सदर बाडमेर जनपद बाडमेर, राजस्थान।

बरामदगी

1–310 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–01 मोबाइल फोन।

3–2064/–रूपये नगद।

4–01 ट्रक।

जनपद कन्नौज/थाना इन्दरगढ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 508 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बियर**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 13.08.2026 को थाना इन्दरगढ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1– महताब 2– मो0इमरान 3– सलमान को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 508 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बियर, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दरगढ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—महताब निवासी आजाद नगर टीला थाना फ्रेन्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

2—मो0इमरान निवासी कबीरगंज थाना कोतवाली जनपद इटावा।

3—सलमान निवासी आजाद नगर थाना फ्रेन्ड्स कॉलोनी जनपद इटावा।

बरामदगी

1—लगभग 30 लाख रूपये कीमत के 508 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बियर।

2—01 ट्रक।

जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 167 किलो 710 ग्राम अवैध गांजा**
- **03 मोबाइल फोन, 05 डीएल, 01 एटीएम कार्ड, 01 पैन कार्ड**
- **नगद रूपये आदि बरामद**

दिनांक 13.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एन0एच0 27 मगहर पुलिस चौकी के पास से 02 अभियुक्तों 1—चंचल सिंह 2—राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 167 किलो 710 ग्राम अवैध गांजा, 03 मोबाइल फोन, 05 डीएल, 01 एटीएम कार्ड, 01 पैन कार्ड, नगद रूपये आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चंचल सिंह निवासी आदर्श नगर थाना —07 न0 डिविजन जनपद लुधियाना, पंजाब।

2–राहुल निवासी गली नं0–03 बाबा जिवन सिंह नगर, बस्ती जोधेवाल थाना वर्धमान नं0–07 जनपद लुधियाना, पंजाब।

बरामदगी

1– लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 167 किलो 710 ग्राम अवैध गांजा।

2–03 मोबाइल फोन, 05 डीएल, 01 एटीएम कार्ड, 01 पैन कार्ड।

3–नगद रूपये आदि।

- **जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–आशीष कुमार 2–अनुज कुमार 3–महेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास व 01–01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना हरदी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना हरदी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/324 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रिंकू उर्फ शैलेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद कुशीनगर/थाना को0हाटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना को0हाटा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 352 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रामजी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––